

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2019/3176 दिनांक: 8/2/19

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि विभागीय आंतरिक अंकेक्षण जाँच दल प्रभारी एवं जाँच दल सदस्य अवकाश पर जाने की सूचना से विभाग को अवगत नहीं कराया जाता है, जो कि एक गंभीर अनियमितता है।

अतः समस्त जाँच दल को निर्देशित किया जाता है, किसी भी प्रकार के अवकाश पर जाने से पूर्व विभाग की ईमेल आई डी (famh-rj@nic.in) पर इसकी सूचना भिजवाने के उपरान्त ही अवकाश पर प्रस्थान करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां.का./2019/

दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
2. समस्त आंतरिक जाँच प्रभारी/जाँच दल सदस्य को पालनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

4. सर्वर रूम को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।

वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर